अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना
उनवानी - श्यामलाल बनाम तहसीलदार मु.नं. - 149/21
किस्म - अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपील सं 149/2021
19-1-2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज की प्रति के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल किये गये। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का कि रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्कीम खo नo 983 रकबा 0.04 हैo किस्म गैर मु रास्ता तन ग्राम सिमारला जागीर में 0.04 है में गेहु कि फसल काश्त करके अतिक्रमण किया गया बताया है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमे अतिक्रमण किये गये रकबे का अंकन नही किया गया है, एवं ना ही चारो दिशाओ के माप का अंकन किया गया है। बहस में वकील अपीलान्ट का मुख्य कथन था कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया एवं ना ही दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया। अपील में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया कि पत्रावली में अंकित खo नo के सम्बध मे अलग से वरिष्ठ न्यायाधीश रींगस मे भी वाद विचाराधीन है। पत्रावली में न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका कमीश्नर रिपोर्ट की प्रति भी पेश कि गई है जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जहाँ अतिक्रमण करना बताया है वहाँ अपीलान्ट पुख्ता निर्माण कर काफी वर्षो से निवास करता आ रहा है। वहाँ कोई प्रचलित रास्ता नही है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण बताया जा रहा है। इस आधार पर दोनो के कथन [illegible] है। इसलिए [illegible] पराधाआबी चारो दिशाओ का न[illegible]दे जाकर एवं निस्तारण [illegible] सही द्वारा जो भी [illegible] है। एवं अपीलान्ट [illegible] किये उनका भी गहनता से अवलोकन [illegible] किया गया।
	...2...

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:31:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
जो आवश्यक रूप से लिया जाना आवश्यक था। ताकि प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार हो सके। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तथा न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 16-4-2021 को दिया गया अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश मूल अपील का निस्तारण होने से अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मु० नं० 36/2021 उनवान सरकार बनाम श्यामलाल मे पारित आदेश दिनांक 9-4-2021 अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावे एवं मौके की सही नाप जोख की जावे तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें। नि० सु०। निर्णय की पालना हेतु निर्णय कि एक प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:31:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner